

प्रेषक,

वृज मोहन पाण्डेय,  
उप सचिव।

सेवा में,

प्रशासकीय समादेष्टा,  
प्रा०वि०द०, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

दिनांक: लखनऊ 1 जुलाई, 1977

**विषय:-** प्रशासकीय अधिकारों का प्रतिनिधापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा जारी किये गये तत्सम्बन्धी समस्त आदेशों को अतिक्रमण करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रादेशिक विकास दल विभाग से सम्बन्धित विभिन्न प्रशासकीय अधिकारों को अनुलग्नक में उल्लेखानुसार प्रतिनिहित करते हैं।

2- आप कृपया इस संबंध में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि प्रतिनिहित अधिकारों का सम्बन्धित स्तर पर पूर्ण रूपेण प्रयोग किया जाय।

भवदीय,

ह०-वृज मोहन पाण्डेय  
(वृज मोहन पाण्डेय)  
उप सचिव।

संख्या-2325/38-2-77

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त संयुक्त/उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

3. समस्त अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०
4. समस्त जिला संगठन कर्ता, प्रा०वि०द०, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,  
ह०—वृज मोहन पाण्डेय  
(वृज मोहन पाण्डेय)  
उप सचिव।

**शासकीय आदेश संख्या-2325/38-2-137/प्राविद/76**

क्र०सं०	कार्यकारी वर्ग	अधिकार का प्रकार	किसको प्रतिनिहित किया गया।
1. सहायक समादेष्टा (राजपत्रित वर्ग)	(1) नियुक्ति, निलम्बन एवं पदच्युत		शासन।
	(2) स्थानान्तरण भर्त्सना		प्रशासकीय समादेष्टा।
	(3) आकस्मिक अवकाश, उपार्जित अवकाश, अस्वस्थता अवकाश		प्रशासकीय समादेष्टा।
	(4) वार्षिक वेतनवृद्धि, दक्षतारोक, भ्रमण की स्वीकृति यात्रा— भत्ता, चरित्र पंजिका में अंकन तथा चरित्र पंजिका तथा सेवाविवरण का रख—रखाव		प्रशासकीय समादेष्टा।
2. जिला संगठनकर्ता	(1) नियुक्ति, निलम्बन तथा पदच्युत		प्रशासकीय समादेष्टा।
	(2) स्थानान्तरण भर्त्सना एवं दक्षतारोक		प्रशासकीय समादेष्टा।
	(3) आकस्मिक अवकाश, भ्रमण की स्वीकृति तथा यात्रा भत्ता		अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास) जिला विकास अधिकारी
	(4) उपार्जित अवकाश तथा अस्वस्थता अवकाश 60 दिन तक का		जिलाधिकारी।
	(5) उपार्जित अवकाश तथा अस्वस्थता अवकाश 60 दिन से अधिक		प्रशासकीय समादेष्टा।

	(6) वार्षिक वेतनवृद्धि तथा, चरित्र पंजिका में अंकन की संस्तुति	अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
	(7) चरित्र पंजिका में अंकन की विवेचना	जिलाधिकारी
	(8) चरित्र पंजिका में अन्तिम अंकन तथा चरित्र पंजिका व सेवा विवरण का रख-रखाव	प्रशासकीय समादेष्टा।
3. सहायक जिला संगठनकर्ता, क्वार्टर मास्टर, सहायक क्वार्टर मास्टर, स्टोरकीपर आदि कर्मचारी (मुख्यालय)	(1) नियुक्ति, निलम्बन एवं पदच्युत	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(2) स्थानान्तरण भर्त्सना, वार्षिक वेतनवृद्धि, दक्षतारोक	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(3) आकस्मिक अवकाश	संबंधित सहायक समादेष्टा।
	(4) उपार्जित एवं अस्वस्थता अवकाश	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(5) वार्षिक वेतनवृद्धि, दक्षतारोक भ्रमण का स्वीकृति यात्रा-भत्ता	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(6) चरित्र पंजिका में अंकन की संस्तुति।	संबंधित सहायक समादेष्टा
	(7) चरित्र पंजिका में अंकन की विवेचना तथा अंतिम अंकन	प्रशासकीय समादेष्टा।
4. क्षेत्रीय संगठनकर्ता तथा व्यायाम प्रशिक्षक	(1) नियुक्ति एवं पदच्युत	प्रशासकीय समादेष्टा
	(2) निलम्बन एवं गौड़ दण्ड	जिलाधिकारी
	(3) आकस्मिक अवकाश	खण्ड विकास अधिकारी
	(4) उपार्जित एवं अस्वस्थता अवकाश 45 दिन तक	जिला संगठनकर्ता

	(5) उपार्जित एवं अस्वस्थता अवकाश 45 दिन से अधिक	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी
	(6) वार्षिक वेतनवृद्धि	जिला संगठनकर्ता
	(7) दक्षता रोक एवं भर्त्सना	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी
	(8) स्थानान्तरण जिले के अन्दर	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी।
	(9) स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले को मण्डल के अन्दर	संयुक्त/उप विकास आयुक्त
	(10) स्थानान्तरण एक मण्डल से दूसरे मण्डल के अन्दर	प्रशासकीय समादेष्टा
	(11) भ्रमण की स्वीकृति	खण्ड विकास अधिकारी
	(12) यात्रा भत्ता	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी।
	(13) चरित्र पंजिका में अंकन की संस्तुति विवेचना अधिकारी अन्तिम	खण्ड विकास अधिकारी जिला संगठनकर्ता अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी।
5. लिपिक एवं स्टोर कीपर एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (जनपद स्तर)	(1) नियुक्ति, निलम्बन एवं पदच्युत	जिलाधिकारी
	(2) स्थानान्तरण एक जिले से दूसरे जिले को	संयुक्त/उप विकास आयुक्त
	(3) भर्त्सना एवं दक्षता रोक	जिलाधिकारी

	(4) आकस्मिक अवकाश	जिला संगठन कर्ता
	(5) उपार्जित अवकाश	जिलाधिकारी
	(6) अस्वस्थता संबंधी अवकाश	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/ जिला विकास अधिकारी।
	(7) वार्षिक वेतनवृद्धि	जिला संगठनकर्ता
	(8) भ्रमण की स्वीकृति यात्रा भत्ता तथा चरित्र पंजिका में अंकन।	अतिरिक्त जिलाधिकारी (वि)/जिला विकास अधिकारी।
5. मुख्यालय के लिपिक(1)	नियुक्ति, निलम्बन पदच्युत वर्ग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी	प्रशासकीय समादेष्टा
	(2) आकस्मिक अवकाश	सहायक समादेष्टा (स्थापना)
	(3) उपार्जित अवकाश 45 दिन तक	सहायक समादेष्टा (स्थापना)
	(4) उपार्जित अवकाश 45 दिन से अधिक तथा अस्वस्थता अवकाश	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(5) वार्षिक वेतनवृद्धि	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(6) भ्रमण की स्वीकृति तथा यात्रा भत्ता	सहायक समादेष्टा (लेखा)।
	(7) लिपिकों की चरित्र पंजिका में अंकन की संस्तुति	सहायक समादेष्टा (स्थापना)।
	(8) चरित्र पंजिका की अंकन	प्रशासकीय समादेष्टा।
	(9) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में अंकन	सहायक समादेष्टा (स्थापना)।

ह०/-वृजमोहन पांडे  
(वृज मोहन पांडे)  
उप सचिव।